GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

LOK SABHA

STARRED QUESTION NO. *438

TO BE ANSWERED ON MONDAY, MARCH 23, 2026/CHAITRA 02, 1948 (SAKA)

DISCONTINUATION OF INCOME TAX EXEMPTION ON DISABILITY PENSION

*438. Shri Asaduddin Owaisi:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the rationale behind the discontinuation of income tax exemption on disability pension to defence personnel still serving despite disability (not invalidated out) or those who have completed their term or took premature retirement despite it being upheld by the Supreme Court in 2019;
(b) the manner in which the Government proposes to reconcile the discontinuation of this tax exemption despite judicial rulings that such pensions are compensatory in nature;
(c) the number of superannuated personnel with service-attributable disabilities as compared to those invalidated out;
(d) the reasons for not introducing a grandfathering clause to protect veterans whose disability occurred prior to 1 April 2026; and
(e) the measures taken by the Government to address borderline cases where the Medical Board recommended retention, but the disability is severe?

ANSWER

THE FINANCE MINISTER
(SMT. NIRMALA SITHARAMAN)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

*****

Statement referred in reply to parts (a) to (e) of Lok Sabha Starred Question No. 438 to be answered on 23.03.2026 regarding Discontinuation of Income Tax Exemption on Disability Pension by Shri Asaduddin Owaisi:

(a) The exemption in respect of disability pension received by members of the armed forces who are invalided out of service on account of a disability attributable to or aggravated by military service has existed since the framework under the Income-tax Act, 1922 as provided vide Notification No. 878-F (Income Tax) dated March 21, 1922. When the Income-tax Act, 1961 came into force, the exemption continued through the repeal and savings provisions.

With the enactment of the Income-tax Act, 2025, the earlier enactments pertaining to Income-tax Act, 1922 and related savings provisions ceased to operate. Therefore, in the absence of an express provision in the new Act, the exemption would have lapsed. The present provision has been included to ensure the continuation of the same exemption that existed earlier, including its scope and conditions.

(b) There is no discontinuation of the said tax exemption. On the contrary, the Finance Bill, 2026 proposes to explicitly provide for a specific exemption in respect of disability pensions under the Income-tax Act, 2025.

(c) As of 31.01.2026 number of armed forces personnel retired from service with disability are 1,47,263 persons, while the number of armed forces personnel receiving disability pension who have been invalided out are 89,598 persons.

(d) Since the provisions under the Income-tax Act, 2025 are intended to continue the pre-existing legal position rather than introduce a new levy or withdraw an existing exemption, the question of introducing a grandfathering clause does not arise.

(e) The present system of Medical Examination in Armed Forces follows a laid down protocol. Armed Forces personnel are inducted in SHAPE-I in Army, S1A1 in Navy & A1G1 or A4G1 in Indian Air Force [AO 09/2011, NO 17/14, IAP 4303 (6th Edition)]. These medical classifications (SHAPE-I, S1A1, A1G1 & A4G1) imply that the personnel are fit for all types of Military duties (A4G1 - is fitness classification for all operational requirements except flying duties in Air Force).

The medical fitness of the serving personnel is carried out annually. The personnel detected with disease/deformity/injuries/medical conditions are placed in the Low Medical Classification are also reviewed periodically depending on the service specific orders. This annual medical examination includes general physical and systemic examination which is supported by battery of tests which differs based upon the role of the officer in their respective service. On detection of a condition the service specialist opines on the medical condition, employment restriction and medical classification of the personnel. The medical classification of a person is finalised by Medical Board constituted as per para 418 and 419 of Regulations for the Medical Services of the Armed Forces-2010 (Revised Version).

In case an individual is found to be suffering from any disease / injury, he / she is observed in temporary medical classification initially for three months to one year & later upgraded to SHAPE-1 and equivalent, on being cured of the disease or recovered from a condition to a level where no military restrictions are merited.

Personnel who do not improve are placed and observed in permanent medical category if the condition is not fully cured and thus, have restriction for military employability. They may continue to serve in Armed Forces with employment restrictions [Army Order 09/2011, NO 7/14 & IAP 4303 (6th Edition)].

Personnel in Permanent Low Medical Category are periodically reviewed at specified interval (Every two years in Army and Navy, and every year in Air Force). These reviews are carried out with the aim to assess in detail the medical condition, functional capacity and employment restriction of the individual.

Officers placed in permanent medical classification, undergo a Release Medical Board (RMB) before retirement/release/discharge [Army Order 3/89, NO 7/14 & IAP 4303 (6th Edition)]. The Release Medical Boards carry out assessment of impairment of such individuals in accordance with GMO- 2023 and the entitlement of the impairment is decided by Service HQs as per ER-2023 and GMO 2023.

Personnel in permanent medical classification if found unfit for discharging of military duties may be invalided out on medical grounds by an Invaliding Medical Board [Army Order 513/71, NO 7/14 & IAP 4303 (6th Edition)]. The Invaliding Medical Boards carry out assessment of impairment of such individuals in accordance with GMO- 2023 and the entitlement of the impairment is decided by Service HQs as per ER-2023 and GMO 2023.

The medical boards only define the medical condition and the various employability restrictions necessitated to ensure adequate recovery and prevention of further deterioration of the condition. The promotion policies of the Armed Forces officers are dealt by respective MS Branch/ equivalent branches of other services.

******

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 438
(जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948(शक) को दिया जाना है)

निःशक्तता पेंशन पर आयकर छूट को बंद करना

*438. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐसे रक्षा कार्मिकों को निःशक्तता पेंशन पर दी जाने वाली आयकर छूट को समाप्त किए जाने का क्या औचित्य है जो निःशक्तता (अमान्य नहीं) के बावजूद सेवाएं प्रदान करते हैं अथवा जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है या समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली है, जबकि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 में इसे बरकरार रखा गया था;
(ख) इस न्यायिक विनिर्णय के बावजूद कि ऐसी पेंशन प्रतिपूरक स्वरूप की है, सरकार का विचार इस कर छूट को समाप्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति का समाधान किस प्रकार करने का है;
(ग) अमान्य किए गए कार्मिकों की तुलना में सेवा में रहते हुए निःशक्तता ग्रस्त हुए सेवानिवृत कार्मिकों की संख्या कितनी है;
(घ) ऐसे भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों की सुरक्षा के लिए कोई संरक्षणकारी खंड लागू न किए जाने के क्या कारण हैं जो 1 अप्रैल, 2026 से पहले निःशक्तता ग्रस्त हुए थे, और
(ङ) सरकार द्वारा ऐसे नाजुक (बॉर्डरलाइन) मामलों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, जिनमें मेडिकल बोर्ड ने उन्हें सेवा में बनाए रखे जाने की सिफारिश की है, जबकि निःशक्तता गंभीर स्वरूप की है?

उत्तर

वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

"निःशक्तता पेंशन पर आयकर छूट को बंद करना" के बारे में दिनांक 23.03.2026 को उत्तरार्थ श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 438 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क): निःशक्तता के कारण सैन्य सेवा से अयोग्य घोषित किए गए या सैन्य सेवा से मुक्त किए गए सैन्य कर्मियों को मिलने वाली निःशक्तता पेंशन को अधिसूचना संख्या 878-एफ (आयकर) दिनांक 21 मार्च, 1922 के तहत प्रावधान के अनुसार आयकर अधिनियम, 1922 के बनाये जाने की तारीख से छूट प्रदान की जा रही है। जब आयकर अधिनियम, 1961 के लागू हुआ तो यह छूट निरसन और व्यावृत्ति प्रावधानों के माध्यम से जारी रही।

आयकर अधिनियम, 2025 का अधिनियमन हो जाने से आयकर अधिनियम, 1922 और उससे संबंधित व्यावृत्ति प्रावधानों से संबंधित अधिनियम प्रभावी नहीं रहे। अतः नए अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण यह छूट समाप्त हो जाती। वर्तमान प्रावधान को इसका दायरा और शर्तें सहित पूर्ववर्ती छूट की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है।

(ख)**:** उक्त कर छूट को समाप्त नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत वित्त विधेयक, 2026 में आयकर अधिनियम, 2025 के तहत निःशक्तता पेंशन के संबंध में एक विशिष्ट छूट का स्पष्ट प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

(ग)**:** दिनांक 31.01.2026 तक निःशक्तता के कारण सेवा से सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कार्मिकों की संख्या 1,47,263 है, जबकि निःशक्तता पेंशन प्राप्त करने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिकों, जिन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया है, की संख्या 89,598 है।

(घ)**:** चूंकि आयकर अधिनियम, 2025 के तहत प्रावधानों का उद्देश्य एक नई लेवी शुरू करने या मौजूदा छूट को वापस लेने के बजाय पहले से मौजूद कानूनी स्थिति को जारी रखना है, इसलिए ग्रैंडफादरिंग क्लॉज शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ)**:** सशस्त्र बलों में चिकित्सा जांच की वर्तमान प्रणाली एक निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करती है। सशस्त्र बलों के कार्मिकों को सेना में एसएचएपीईई, नौसेना में एस1ए1 और भारतीय वायु सेना में ए1जी1 या ए4जी1 में भर्ती किया जाता है [एओ 09/2011, एनओ 17/14, आईएपी 4303 (छठा संस्करण)]। ये चिकित्सा वर्गीकरण (एसएचएपीईई -I, एस1ए1, ए1जी1 और ए4जी1) दर्शाते हैं कि कार्मिक सभी प्रकार के सैन्य ड्यूटियों के लिए उपयुक्त हैं (ए4जी1 वायु सेना में उड़ान ड्यूटी को छोड़कर सभी परिचालन संबंधी अपेक्षाओं के लिए उपयुक्तता (फिटनेस) वर्गीकरण है)।

सेवारत कार्मिकों की चिकित्सा योग्यता की वार्षिक रूप से जांच की जाती है। जिन कर्मियों में बीमारी/विकृति/चोट/चिकित्सीय स्थिति पाई जाती है उन्हें निम्न चिकित्सा वर्ग में रखा जाता है और सेवा-विशिष्ट आदेशों के आधार पर उनकी समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है। इस वार्षिक चिकित्सा जांच में सामान्य शारीरिक और प्रणालीगत जांच शामिल है, जिसे विभिन्न परीक्षणों के एक समूह द्वारा समर्थित किया जाता है, जो अधिकारी की संबंधित सेवा में उनकी भूमिका के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं। किसी भी समस्या का पता चलने पर सेवा विशेषज्ञ उस कार्मिक की चिकित्सा स्थिति, रोजगार प्रतिबंध और चिकित्सा वर्गीकरण पर अपनी राय देते हैं। किसी व्यक्ति के चिकित्सा वर्गीकरण को रेगुजलेशन फॉर द मेडिकल सर्विसेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज-2010 (संशोधित संस्करण) के पैरा 418 और 419 के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है।

यदि किसी व्यक्ति में कोई बीमारी/चोट पाई जाती है, तो उसे प्रारंभ में तीन महीने से एक वर्ष तक अस्थायी चिकित्सा वर्गीकरण में रखा जाता है और बाद में बीमारी से ठीक होने या ऐसी स्थिति से उबरने पर, जहां कोई सैन्य प्रतिबंध लागू नहीं होता है, उसे एसएचएपीई-1 और समकक्ष श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है।

जिन कार्मिकों की स्थिति में सुधार नहीं होता है उन्हें स्थायी चिकित्सा श्रेणी में रखा जाता है और उन पर निगरानी रखी जाती है यदि उनकी स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और इस प्रकार उन पर सैन्य रोजगार के लिए प्रतिबंध लग जाता है। वे रोजगार संबंधी प्रतिबंधों के साथ सशस्त्र बलों में सेवा जारी रख सकते हैं [सेना आदेश 09/2011, संख्या 7/14 और आईएपी 4303 (छठा संस्करण)]।

स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी के कार्मिकों की समय-समय पर निर्धारित अंतराल पर समीक्षा की जाती है (सेना और नौसेना में हर दो साल में, और वायु सेना में हर साल)। इन समीक्षाओं का उद्देश्य व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति, कार्यात्मक क्षमता और रोजगार संबंधी प्रतिबंधों का विस्तृत आकलन करना है।

स्थायी चिकित्सा वर्गीकरण में नियुक्त अधिकारियों को सेवानिवृत्ति/रिलीज/डिस्चार्ज से पहले एक रिलीज मेडिकल बोर्ड (आरएमबी) से गुजरना पड़ता है [सेना आदेश 3/89, संख्या 7/14 और आईएपी 4303 (छठा संस्करण)]। रिलीज मेडिकल बोर्ड जीएमओ-2023 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की निःशक्तता का आकलन करता है और निःशक्तता की पात्रता का निर्णय सेवा मुख्यालय द्वारा ईआर-2023 और जीएमओ 2023 के अनुसार किया जाता है।

स्थायी चिकित्सा वर्गीकरण वाले कार्मिकों को यदि सैन्य कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उन्हें चिकित्सा आधार पर एक इनवैलिडिंग चिकित्सा बोर्ड द्वारा अमान्य (इनवैलिड) किया जा सकता है [सेना आदेश 513/71, संख्या 7/14 और आईएपी 4303 (छठा संस्करण)]। इनवैलिडिंग चिकित्सा बोर्ड जीएमओ-2023 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की निःशक्तता का आकलन करती है और निःशक्तता की पात्रता का निर्णय सेवा मुख्यालय द्वारा ईआर-2023 और जीएमओ 2023 के अनुसार किया जाता है।

चिकित्सा बोर्ड केवल चिकित्सीय स्थिति और रोजगार संबंधी विभिन्न प्रतिबंधों को परिभाषित करते हैं, जो पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ और स्थिति को और बिगड़ने से रोकना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। सशस्त्र बलों के अधिकारियों की पदोन्नति नीतियों को संबंधित एमएस शाखा/अन्य सेवाओं की समकक्ष शाखाओं द्वारा देखा जाता है।

******